

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 17

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के तहत युवाओं को इंटरनशिप

*17. श्री सनातन पांडेय:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2024-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत शीर्ष 500 कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त योजना से युवाओं के रोजगार संबंधी कौशल में सुधार होने और भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा सहित देश में उक्त योजना के तहत प्रदान की गई इंटरनशिप का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के तहत युवाओं को इंटरनशिप' के संबंध में 3 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 17* के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्ष में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में युवाओं को 1.25 लाख इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना-पायलट प्रोजेक्ट के विवरण वाले दिशानिर्देश <https://pminternship.mca.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

शीर्ष 500 कंपनियों का चयन पिछले 3 वर्षों में औसत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर किया गया है। इनके अतिरिक्त, कोई अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्था जो इस योजना में भागीदारी करने की इच्छुक है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुमोदन से ऐसा कर सकती है, जो उपर्युक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले सेक्टरों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा। भागीदार कंपनियों की सूची <https://pminternship.mca.gov.in> पर उपलब्ध है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। मंत्रालय पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए उद्योग संघों के साथ सक्रिय सहयोग से कार्य कर रहा है।

(ग): प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि इंटरनशिप की अवधि 12 माह होगी और इंटरनशिप अवधि का कम से कम आधा समय वास्तविक कार्य अनुभव/कार्य वातावरण में व्यतीत किया जाना चाहिए न कि क्लासरूम में। इस प्रकार, पीएम इंटरनशिप योजना युवाओं को व्यवसायों या संगठनों के रियल लाइफ माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो अकादमिक लर्निंग और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, बदले में, उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है।

(घ): प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम दौर में उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा राज्यों सहित देश भर में भागीदार कंपनियों द्वारा लगभग 1.27 लाख इंटरनशिप अवसर प्रदान किए गए थे। इस योजना के तहत प्रदान किए गए राज्यवार इंटरनशिप अवसर अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 17* का अनुलग्नक-1

पीएम इंटरनशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट (राउंड-1) में दिए गए इंटरनशिप के अवसरों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	इंटरनशिप के अवसरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12
2	आंध्र प्रदेश	4973
3	अरुणाचल प्रदेश	156
4	असम	3457
5	बिहार	2802
6	चंडीगढ़	523
7	छत्तीसगढ़	3334
8	दिल्ली	2470
9	गोवा	1017
10	गुजरात	11690
11	हरियाणा	7764
12	हिमाचल प्रदेश	1254
13	जम्मू और कश्मीर	761
14	झारखंड	3535
15	कर्नाटक	10022
16	केरल	2807
17	लद्दाख	72
18	लक्षद्वीप	2
19	मध्य प्रदेश	5627
20	महाराष्ट्र	13664
21	मणिपुर	73
22	मेघालय	55
23	मिजोरम	25
24	नागालैंड	45
25	ओडिशा	5142
26	पुडुचेरी	310
27	पंजाब	2314
28	राजस्थान	4653
29	सिक्किम	254
30	तमिलनाडु	14585
31	तेलंगाना	7913
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	232
33	त्रिपुरा	395
34	उत्तर प्रदेश	9027
35	उत्तराखंड	1966
36	पश्चिम बंगाल	4577
	कुल योग	127508